

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक
34/2011विक्रम संवत्
20687(कृ०) आश्विन 1933 (शा०)
जमशेदपुर, सोमवार, 19/09/11

सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये खनन एवं भूतत्व विभाग का आम सूचना।

विषय सूची

1. जिला खनन विभाग से सम्बंधित आमसूचना

पृष्ठ संख्या
01-01

झारखण्ड सरकार
खनन एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्नांकित क्षेत्र जिस पर खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु ससमय प्रतिभूति राशि एवं प्रारंभिक व्यय की राशि जमा नहीं करने के कारण झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के अन्तर्गत यह क्षेत्र पुर्न बन्दोबस्ती हेतु रिक्त है।

अतः उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृती हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था जिला गजट में सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी वांछित कागजातों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण

Sl No	पूर्व पट्टेधारी का नाम एवं पता	अंचल	मौजा	थाना न०	प्लाट न०	रकबा (एकड़ में)	खनिज
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वश्री श्रृष्टी महिला समिति अध्यक्ष श्रीमति लीला पातर ग्राम + पो० सूरदा जिला पूर्वी सिंहभूम	मुसाबनी	सोमायडीह	97	853 (P)	3.00	पत्थर

ह०/-

जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर